



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 माघ, 1942 (श०)

संख्या-88 राँची, मंगलवार,

2 फरवरी, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

22 जनवरी, 2021

संख्या-5/आरोप-03/2018-733 (HRMS)—मो० जफर हसनात, झा०प्र०से०, (चतुर्थ 'सीमित' बैच, गृह जिला-दुमका), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हिरणपुर के विरुद्ध उपायुक्त, पाकुड़ के पत्रांक-599/स्था०, दिनांक 17.11.2017 द्वारा प्रपत्र-क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये:-

(क) मो० जफर हसनात दिनांक 07.10.2014 से 21.04.2017 तक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हिरणपुर के पद पर पदस्थापित थे।

(ख) वित्तीय वर्ष 2009-10 में क्रियान्वित तीन योजनाओं यथा-(1) योजना सं०-84/09-10, बलदेव साहा के जमीन पर पोखरा का जीर्णोद्धार (2) योजना सं०-85/09-10, कृष्ण मड़ैया के जमीन पर पोखरा का जीर्णोद्धार एवं योजना सं०- 86/2009-10, देवेन्द्र साहा के जमीन पर पोखर का जीर्णोद्धार योजनाओं को महज 03 वर्ष के अंतराल पर ही अधूरा एवं विवादित बताते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 में पुनः उसी स्थल पर योजना सं०-03/14-15, कृष्ण मड़ैया के जमीन पर पोखरा का जीर्णोद्धार (2) योजना सं०-04/14-15, बलदेव साहा के जमीन पर पोखरा का जीर्णोद्धार एवं (3) योजना सं०-05/14-15, देवेन्द्र साहा के जमीन पर पोखरा का जीर्णोद्धार कार्य कराया गया।

पूर्व के कार्यों की पूर्ण जानकारी लिए बगैर ही मो० जफर हसनात, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हिरणपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में क्रियान्वित योजनाओं में FTO कराते हुए राशि को गबन करने में सहयोग प्रदान किया गया, जिसके लिए मो० जफर हसनात, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हिरणपुर का कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(I)(i)(ii)(iii) 3(II) एवं 3(III) का उल्लंघन करने के लिए दण्डनीय है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-860, दिनांक 01.02.2018 द्वारा मो० हसनात से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इनसे स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने पर कई स्मार पत्रों द्वारा इसके लिए स्मारित भी किया गया।

इसी बीच, उपायुक्त, पाकुड़ के पत्रांक-204/मनरेगा, दिनांक 13.04.2018 द्वारा मो० हसनात के विरुद्ध एक अन्य प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के पत्रांक-139/वि०, दिनांक 21.06.2018 के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये:-

(क) मो० जफर हसनात दिनांक 07.10.2014 से 21.04.2017 तक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हिरणपुर के पद पर पदस्थापित थे।

(ख) वित्तीय वर्ष 2015-16 में मनरेगा योजना अन्तर्गत हिरणपुर प्रखण्ड पंचायत-डांगापाड़ा, ग्राम-धनियामारा में जोसेफ किस्कु के घर से लखीन्द्र हाँसदा के घर होते हुए ग्रेड-1 पथ सह पुलिया निर्माण योजना सं०-532/RC/2015 की स्वीकृति दी गयी। स्वीकृत योजना के प्राक्कलन के अनुसार सड़क की लम्बाई 3280 फीट तथा प्राक्कलित राशि 10,15,300/- (दस लाख पंद्रह हजार तीन सौ) रु० है। योजना में बरती गई अनियमितता एवं सरकारी राशि के गबन के शिकायत के आधार पर योजना की जाँच श्री प्रमोद कुमार झा, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पाकुड़, श्री श्रीकांत सिंह, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, पाकुड़, श्री नवल किशोर, सहायक अभियंता, पथ निर्माण प्रमण्डल, पाकुड़ एवं श्री असगर अली कनीय अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, पाकुड़ द्वारा करायी गयी। जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में कई गंभीर अनियमितताएँ पायी गयी हैं।

(ग) मनरेगा मार्गदर्शिका में किसी भी योजना में अभिकर्ता बनाने का कोई भी प्रावधान नहीं है, परन्तु श्री जफर हसनात, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हिरणपुर की मिलीभगत से प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, हिरणपुर, श्री सुरेन्द्र नारायण साहा को विभागीय अभिकर्ता नियुक्त किया गया है।

(घ) वैसे मजदूरों को FTO के माध्यम से पोस्ट ऑफिस खाते में मजदूरी भुगतान किया गया है, जिन्होंने उक्त योजना में कार्य ही नहीं किया और न ही उनका पोस्ट ऑफिस में कोई खाता है। साथ ही मजदूरों को नगद भुगतान किया गया है। यही नहीं पंचायत डांगापाड़ा उप डाकघर होने के बावजूद भी कोसों दूर हिरणपुर, उप डाकघर में मजदूरों का फर्जी खाता/मस्टर रॉल बनाकर वहाँ के उपडाक पाल की मिलीभगत से लोकधन का गबन किया गया है।

(ड) सामग्री आपूर्तिकर्ता श्री हीरालाल मंडल के साथ मिलीभगत कर बिना सामग्री आपूर्ति कराये गये फर्जी विपत्र के सहारे कुल 4,87,048/- (चार लाख सतासी हजार अड़तालीस रुपये) का भुगतान किया गया।

श्री हसनात के विरुद्ध प्राप्त द्वितीय प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-5957, दिनांक 07.08.2018 द्वारा मो0 हसनात से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इनसे स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने पर कई स्मार पत्रों द्वारा इसके लिए स्मारित भी किया गया। परन्तु उनके द्वारा स्पष्टीकरण का कोई जवाब समर्पित नहीं किया गया।

मामले के समीक्षोपरांत, मो0 हसनात के विरुद्ध दोनों प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0-2798(HRMS), दिनांक 26.11.2018 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी, श्री झा के पत्रांक-141, दिनांक 13.06.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा मो0 हसनात के विरुद्ध गठित प्रथम प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में अपने मंतव्य में कहा गया कि आरोपी का दोष सिर्फ इतना है कि उनके द्वारा योजना सं0-03/2014-15 में 1,51,632/- ₹0 का एफ0टी0ओ0 सिर्फ कनीय अभियंता द्वारा प्रस्तुत मापी पुस्त एवं रोजगार सेवक तथा पंचायत सेवक द्वारा हस्ताक्षरित और प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी तथा कनीय अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित मस्टर रॉल के आधार पर कर दिया गया। एफ0टी0ओ0 करने के पूर्व उनके द्वारा योजना स्थल का निरीक्षण नहीं किया गया। अतः आरोपी सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(I)(ii) के तहत दोषी प्रतीत होते हैं। संचालन पदाधिकारी द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि आरोपी के विरुद्ध हिरणपुर थाना में प्रश्नगत मामले में प्राथमिकी (कांड सं0-92/2017) दर्ज करायी गयी है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा मो0 हसनात के विरुद्ध गठित द्वितीय प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में अपने मंतव्य में कहा गया कि आरोप सं0-2 आरोप आंशिक रूप से सही प्रतीत होता है, आरोप सं0-3 आरोप सही प्रतीत होता है, आरोप सं0-4 सही प्रतीत नहीं होता है एवं आरोप सं0-5 पूर्णतः सही नहीं प्रतीत होता है। संचालन पदाधिकारी द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत मामले में आरोपी के विरुद्ध हिरणपुर थाना कांड सं0-9/2018 दर्ज करवाई गई है।

मो0 हसनात के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-8035, दिनांक 01.10.2019 द्वारा उपायुक्त, पाकुड़ से तत्कालीन संबंधित सहायक अभियंता/कनीय अभियंता जिसने गलत मापी की एवं सत्यापन करने वाले अभियंता पर क्या कार्रवाई हुई, के संबंध में प्रतिवेदन की माँग की गई। उक्त के आलोक में उपायुक्त, पाकुड़ के पत्रांक-203/स्था0, दिनांक 25.06.2020 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि उक्त योजना से संबंधित सहायक अभियंता (मनरेगा) श्री साईमन हेम्ब्रम तथा कनीय अभियंता (मनरेगा) श्री रवि कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का निदेश पत्रांक-56/मनरेगा, दिनांक 02.02.2018 द्वारा दिया गया एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हिरणपुर द्वारा उक्त आदेश के आलोक में हिरणपुर थाना कांड सं0-09/2018 के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है।

यह भी उल्लेख किया गया कि सम्प्रति संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड से जमानत पर हैं एवं मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण अग्रतर कार्रवाई नहीं की गई है परन्तु एक अलग मामले में श्री रवि कुमार, कनीय अभियंता (मनरेगा) को कार्यालय ज्ञापांक-56/मनरेगा, दिनांक 13.02.2020 द्वारा तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त करते हुए कारण पृच्छा की गई है।

मो० हसनात के विरुद्ध आरोप, संचालन पदाधिकारी के मंतव्य एवं उपायुक्त, पाकुड़ से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत, मो० जफर हसनात, झा०प्र०से०, (चतुर्थ 'सीमित' बैच, गृह जिला-दुमका), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हिरणपुर के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अन्तर्गत "निन्दन" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति मो० जफर हसनात, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MD. JAFAR HASNAT JHK/JAS/312	मो० जफर हसनात, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हिरणपुर के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अन्तर्गत "निन्दन" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
